न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 163/2024

वादी :—

1. रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली नि0 सोजत सिटी, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादी :—

1. सरकार जरिए तहसीलदार भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 04/11/2024

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धीनावास तह0 सोजत में रिवाईज्ड सैटलमेंट के नये खसरा नंबर 2052 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 2067 रकबा 0.5000 है0, खसरा नंबर 2068 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 2071 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 2072 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.67 है0 यानि 23 बीघा आई हुई स्थित हैं। उक्त भूमि वादी के प्रिसिंपल विक्रेता टुआराम पुत्र नंदा जाति सीरवी निवासी धीनावास के हक हकूक कब्जा काश्त की स्थित थी। वादी के प्रिसिपल विक्रेता टुआराम ने दिनांक 28.05.1979 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान उपरोक्त आराजीयात की भूमि वादी को बेचान कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया। तब से लगाकर आज दिनांक तक वादी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग करता आया हैं। सैटलमेंट के वक्त वादस्थ भूमि के संदर्भ में पत्रावली सं0 1444/1979 कायम की जाकर एआरओ जोधपुर द्वारा दिनांक 13.06.1979 को आदेश पारित कर खसरा नंबर 2052, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074 का पर्चा लगान भी वादी के पक्ष में जारी किया गया। पर्चा लगान से जब जमाबंदी कायम की गयी तब जमाबंदी में खसरा नंबर 2052, 2067, 2068, 2071, 2072 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.7600 है0 भूमि जमाबंदी कायम की गयी। त्रुटिवश खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0 तथा खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 की भूमि वादी के नाम इन्द्राज सहवन से नहीं हो पाया तथा पुनः वादी के प्रिसिपल विक्रेता के नाम ही दर्ज कर दिया गया। जिसकी कोई जानकारी वादी को नहीं रही। वादी बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.05.1979 के आधार पर खसरा नंबर 2073, 2074 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9100 है0 की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार अधिवक्ता वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी वाद पेश कर सरहद मौजा धीनावास के खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 2074 रकबा 0.4600 है0 भूमि के रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 28.05.1979 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश कर वादी की भूमि सरहद मौजा धीनावास में स्थित होना स्वीकार कर पैरा संख्या 02 से 04 वादी स्वयं न्यायालय हाजा में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करने व पैरा संख्या 5 से 7 कानूनी होना अंकित किया है। जबाब दावा सामिल मिसल है। वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलर सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2024/1443 दिनांक 23.09.2024 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धीनावास के ख.नं. 2073 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 2074 रकबा 0.46 है0 ग्राम की वर्तमान जमाबंदी के खाता नं0 223 में

उपखण्ड अधिकारी

स्थित हैं। उक्त खाते में कुल 74 खसरे है, जिनका कुल रकबा 97.9424 है0 हैं तथा अणचीदेवी पत्नि मंगलाराम वगैरा कुल 135 खातेदार हैं। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं। दौराने मौका निरीक्षण ज्ञात हुआ कि सरहद मौजा धीनावास के ख.नं. 2073, 2074 किस्म बा0अ0 में मेहन्दी की फसल बोई हुई हैं तथा जिस पर कब्जा काश्त रामलाल पुत्र चेलाराम माली निवासी सोजत द्वारा किया जा रहा हैं। संलग्न दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.05.79 को रजि0 नं0 156 द्वारा उप पंजीयक कार्यालय सोजत में दुवाराम पुत्र नन्दाराम सीरवी निवासी धीनावास द्वारा रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी के पक्ष में खसरा नंबर 2052 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 2067 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 2068 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 2071 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 2072 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 कुल खसरा 7 कुल रकबा 3.67 है0 का बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त बेचान रजिस्ट्री के अमल–दरामद श्रीमान सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर द्वारा पत्रावली क्रंमाक 1444/79 दिनांक 13.06.79 द्वारा खसरा नंबर 2052 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 2067 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 2068 रकबा 0.43 है0 खसरा नंबर 2071 रकबा 0.54 है0 खसरा नंबर 2072 रकबा 0.53 है0 खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 खसरा नंबर 2074 रकबा 0. 46है0 कुल रकबा 3.67 है0 का रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न बतायी गई। आगामी जमाबंदी व मिसल बन्दोबस्त में रामलाल पुत्र चेलाराम कौम माली निवासी सोजत सिटी के पक्ष में खसरा नंबर 2052 रकबा 0.76 है0 खसरा नंबर 2067 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 2068 रकबा 0.43 है0 खसरा नंबर 2071 रकबा 0.54 है0 खसरा नंबर 2072 रकबा 0.53 है0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.76 है0 का इन्द्राज किया गया जबकि खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0 तथा खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 को मूल खाते में ही रखा गया। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ही खसरा नंबर 2052, 2067, 2068, 2071, 2072 कुल रकबा 2.76 है0 पारीदेवी पत्नी रामलाल कौम माली निवासी सोजत सिटी के नाम दर्ज हैं। खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0 खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 किस्म बा0अ0 का नजरी नक्शा संलग्न प्रेषित किया हैं।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिकारात्मक जबाब दावा नहीं होने से तनकियात कायम न की जाकर पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई। अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी में वादी स्वयं के बयान पी0डब्ल्यू 1 कलमबद्ध करवाये गए तथा दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गए। जिसमें दिनांक 28.05.1979 की बेचान रजिस्ट्री असल प्रदर्श–1 एवं उसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1ए हैं, एआरओ जोधपुर के प्रकरण सं0 1444/79 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 है, जिसमें मार्क ए से बी में खसरो की भूमि का अंकन किया हुआ हैं। पर्चा लगान प्रदर्श–3 हैं। पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत् 2075–78 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 हैं। जिरह प्रतिवादी एवं पुनः परीक्षण शून्य रहा।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा सरहद ग्राम धीनावास तह0 सोजत में रिवाईज्ड सैटलमेंट के नये खसरा नंबर 2052 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 2067 रकबा 0.5000 है0, खसरा नंबर 2068 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 2071 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 2052 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.67 है0 यानि 23 बीघा आई हुई स्थित हैं। उक्त भूमि वादी के प्रिसिंपल विक्रेता टुआराम पुत्र नंदा जाति सीरवी निवासी धीनावास के हक हकूक कब्जा काश्त की स्थित थी। वादी के प्रिसिपल विक्रेता टुआराम ने दिनांक 28.05.1979 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान उपरोक्त आराजीयात की भूमि वादी को बेचान कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया। तब से लगाकर आज दिनांक तक वादी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग करता आया हैं। सैटलमेंट के वक्त वादस्थ भूमि के संदर्भ में पत्रावली सं0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

1444/1979 कायम की जाकर एआरओ जोधपुर द्वारा दिनांक 13.06.1979 को आदेश पारित कर खसरा नंबर 2052, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074 का पर्चा लगान भी वादी के पक्ष में जारी किया गया। पर्चा लगान से जब जमाबंदी कायम की गयी तब जमाबंदी में खसरा नंबर 2052, 2067, 2068, 2071, 2072 कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.7600 है0 भूमि जमाबंदी कायम की गयी। त्रुटिवश खसरा नंबर 2073 रकबा 0.45 है0 तथा खसरा नंबर 2074 रकबा 0.46 है0 की भूमि वादी के नाम इन्द्राज सहवन से नहीं हो पाया तथा पुनः वादी के प्रिंसिपल विक्रेता के नाम ही दर्ज कर दिया गया। वादी बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.05.1979 के आधार पर खसरा नंबर 2073, 2074 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9100 है0 की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी होने से यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है कि वादी को खसरा नंबर 2073, 2074 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9100 है0 की भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.05.1979 के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत बयान गवाहान, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, प्रदर्श–1 बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.05.79, प्रदर्श–2 पत्रावली सं0 1444/79 से स्पष्ट है कि वादी को ख.नं. 2073, 2074 का बेचान भी प्रिंसिपल खातेदार (विक्रेता) द्वारा किया गया था एवं इसी अनुरूप एआरओ जोधपुर की पत्रावली सं0 1444/79 में रामलाल पुत्र चेलाराम कौम माली साकिन सोजत सिटी को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गए थे, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरो का खातेदार रामलाल पुत्र चेलाराम को नहीं किया जाने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा सरहद मौजा धीनावास के ख0नं0 2073, 2074 की भूमि को वादी के नाम माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.05.79 व एआरओ जोधपुर के आदेश दिनांक 13.06.79 के अनुरूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धीनावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के खसरा नंबर 2073, 2074 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9100 है0 की कृषि भूमि का वादी रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तादाई

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली, नि० सोजत सिटी, तह० सोजत जिला पाली।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०एक्ट० 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 163 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र व्यास, श्री गोविन्द प्रसाद तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा धीनावास तह० सोजत जिला पाली राजस्थान के खसरा नंबर 2073, 2074 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9100 है० की कृषि भूमि का वादी रामलाल पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी को खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/11/2024 को जारी की गई।

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बावत इजराय हुक्मनामा	शून्यं	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.